शासकीय पं. श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग

जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)

(स्थापना 14 अगस्त 2007)

योगः कर्मसु कौशलम्

प्रवेश-विवरणिका

Phone- 07704292229
email- govtcollege.deobhog@yahoo.com

शासकीय पं.श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग
जिला–गरियाबन्द (छ.ग.)

(स्थापना 14 अगस्त 2007)

प्रवेश–विवरणिका

सत्र 2016 – 2017

Phone- 07704292229 email- govtcollege.deobhog@yahoo.com

आमुख

प्रिय छात्र/पालकगण,

शासकीय पं.श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग की स्थापना 14 अगस्त 2007 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई। प्रारम्भ में महाविद्यालय जनपद देवभोग के एक कक्ष में संचालित हुआ करता था। तत्पश्चात् 2014 तक इसका संचालन बालक पूर्व माध्यमिक शाला देवभोग के भवन में किया गया। सत्र 2014-15 से महाविद्यालय का संचालन स्वयं के नव-निर्मित भवन में हो रहा है। महाविद्यालय का नामकरण देवभोग के प्रसिद्ध गॉधीवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व.पं.श्यामशंकर मिश्र जी के नाम पर किया गया हैं, पंडित जी ने देवभोग के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में पहली बार हरिजनों को प्रवेश दिलाया था एवं स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

महाविद्यालय की विकास यात्रा आठ वर्ष पूर्व सन् 2007 में 58 छात्रों से प्रारम्भ हुई एवं 2015-16 में 374 तक पहुॅच गई। महाविद्यालय को पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार स्थानीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जिसका पंजीयन क्रमांक - 26850 है।

दूरस्थ अंचल में होते हुये भी अध्ययन-अध्यापन स्तरीय रखकर नैतिकता का पाठ छात्र पाते हैं। अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त शैक्षिकेत्तर गतिविधियों पर भी ध्यान रखकर छात्रों के सर्वांगिण विकास पर जोर दिया जाता है।

महाविद्यालय का जीवन छात्रों के लिये महत्वपूर्ण होता है जहॉ छात्र ज्ञान के साथ-साथ जिंदगी सवॉरने हेतु प्रयासरत रहते हैं।महाविद्यालय परिवार पग-पग पर सहयोग करता है।महाविद्यालय की स्थानीय प्रबंधन समिति छात्रों की समस्याओं के निदान हेतु हमेशा तत्पर रहती है।

विश्वास है कि शासन-प्रशासन, स्थानीय नागरिक व पालकगण का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा जिससे हमारा महाधिालय छात्रों को उनक लक्ष्य तक पहुॅचाने में सफल होगा।

देवभोग,दिनांक 14/06/2016

डॉ. संजय कुमार

प्र.प्राचार्य

उपलब्ध अध्ययन–व्यवस्था

(पाठ्यक्रम पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर से सम्बद्ध)

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था है :–

- **कला (बी.ए) :–** राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य,भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं आधारपाठ्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा।
- **वाणिज्य (बी.कॉम.) :–** पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय
- **विज्ञान (बी.एस–सी.) :–** वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं आधारपाठ्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा।

प्रवेश हेतु विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित स्थान

क्रमांक	कक्षा	निर्धारित छात्र संख्या
01	बी.ए. भाग–1	120
02	बी.कॉम. भाग–1	60
03	बी.एस–सी भाग–1	60

प्रवेश आवेदन पत्र

- **प्रवेश की तिथि** :– **प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ 16 जून 2016 से**
- **प्रवेश सूची का प्रकाशन** :– **जूलाई 2016 का प्रथम सप्ताह**
- **प्रवेश की अंतिम तिथि** :– स्थान रिक्त होने पर स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय–बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन, जो भी पहले हो मान्य होगी।

सूचना :– प्रत्येक संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु अलग–अलग प्रवेश आवेदन पत्र जमा करें। एक संकाय/कक्षा में प्रवेश आवेदन पत्र, दूसरे संकाय/कक्षा में प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगा। इन सभी आवेदन–पत्रों में आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

1. सभी प्रवेश आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में दिया जाएं। आवेदन–पत्र निर्धारित राशि कार्यालय में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि किसी भी कारण से लौटाई नहीं जाएगी।
2. आवेदन–पत्र स्वयं विद्यार्थी द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों का होना अनिवार्य है–

1. पिछली संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र
2. चरित्र प्रमाण–पत्र की मूलप्रति
3. पिछली कक्षा के अंकसूची की छायाप्रति
4. 10 वीं कक्षा के अंकसूची की छायाप्रति
5. यदि अजा/अजजा या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो तहसीलदार या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति
6. तहसीलदार या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र
7. यदि विद्यार्थी बी.पी.एल.श्रेणी का है तो बी.पी.एल.प्रमाण पत्र की छाया प्रति
8. यदि विद्यार्थी गत वर्ष में किसी परीक्षा में नहीं बैठे हों तो नोटरी द्वारा जारी अंतराल प्रमाण–पत्र (गेप सर्टिफिकेट)
9. तीन पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

विशेष :– शासकीय नियमानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो अथवा अध्ययन बीच में बन्द कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थी को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

सामान्य सूचनाएँ

- **प्रवेश–संबंधी सूचना–**

1. यदि विद्यार्थी एक संकाय छोड़ दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जावेगा।
2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
3. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जावेगी, प्रवेश–सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड (सूचना–पटल) पर लगा दी जायेगी। सूचना पहूँचाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी।
4. प्रवेश–सूची जारी होने के सात दिनों के अन्दर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा।
5. घोषित प्रवेश–सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त शुल्क के रूप में लिया जावेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रवेश हेतु निर्धारित सीट, संकाय व विषय के साथ–साथ सभी का पालन महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
7. प्रवेश–संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

- **पात्रता संबंधी सूचना–**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के निर्देशानुसार छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा–

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर, बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10 + 2 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जायेगा।
2. इस विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय या छत्तीसगढ़ के बाहर के परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को इस विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

- **विश्वविद्यालय नामांकन संबंधी सूचना–**

1. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्रों को नामांकन फार्म भरना होगा।

2. प्रथम वर्ष में संकाय परिवर्तन पश्चात् प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा।

3. प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं के नामाकंन अंक सम्बधी फार्म ऑनलाईन के माध्यम से छात्र/छात्राओं को स्वयं भरना होगा।

4. अमहाविद्यालयीन उत्तीर्ण छात्रों को नियमित प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा।

नोट :– नामांकन क्रमांक के लिए समस्त कक्षाओं की अंकसूचियों (अनुत्तीर्ण कक्षा सहित) की छायाप्रतियॉं, पात्रता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति तथा गैप होने पर गैप सर्टिफिकेट की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

आचरण संहिता

➢ सामान्य नियमः–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट य आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार रखेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी बातों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
10. छात्र रैगिंग में लिप्त नहीं रहेंगे।

➢ **अध्ययन संबंधी नियमः–**

1. प्रत्येक विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी,अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय पर न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शान्तिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

➢ महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र–

प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है, कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदिः–

1. विद्यार्थी महाविद्यालय का प्रवेश–शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करता है।
2. विद्यार्थी किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता हो।
3. विद्यार्थी रैगिंग में संलिप्त पाया जाये।
4. यदि विद्यार्थी किसी आपराधिक या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो।
5. शासकीय नियमानुसार यदि कोई विद्यार्थी लगातार 1 माह से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है।

शुल्क संबंधी नियम

1. विद्यार्थी स्वयं काउन्टर पर ही फीस जमा करें।
2. शुल्क जमा करने के साथ ही रैगिंग संबंधी घोषणा पत्र पर पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
3. प्रत्येक फीस तथा जमा की गई राशि के लिए विद्यार्थी उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
4. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होंगे।
5. विद्यार्थी सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।

शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का विवरण

शासकीय शुल्क

क्रमांक	मद		राशि
	शासकीय शुल्क		
1	शिक्षण शुल्क		115.00
2	प्रवेश शुल्क		03.00
3	महाविद्यालय स्टेशनरी शुल्क		02.00
4	प्रयोगशाला शुल्क	कला (भूगोल) समूह	20.00
		विज्ञान समूह	20.00
अजा/अजजा एवं छात्राओं का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा माफ है एवं छ.ग. शासन के तृतीय /चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा माफ है ।			

अशासकीय शुल्क

1	छात्रसंघ शुल्क	10.00
2	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00
3	परिचय–पत्र	10.00
4	महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00
5	सायकल स्टैण्ड	15.00
6	सम्मिलित निधि शुल्क	32.00
7	स्नेह सम्मेलन	20.00
8	चिकित्सा शुल्क	3.00
9	प्रयोगशाला शुल्क (कला संकाय हेतु)	60.00
10	प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय हेतु)	150.00
11	विभागीय पुस्तकालय /वाचनालय	15.00
12	छात्र कामन फीस	20.00
13	सुरक्षा निधि (Caution Money)	60.00
14	आंतरिक परीक्षा शुल्क	50.00
विश्वविद्यालय शुल्क		
1	विश्वविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
2	विश्वविद्यालय छात्रसंघ शुल्क	2.00
स्थानीय प्रबंधन समिति के अनुसार अन्य शुल्क		
1	जनभागीदारी (विकास) शुल्क	500.00

नोट :–

1. शुल्क के संबंध में विश्वविद्यालय/शासन का निर्णय अंतिम होगा।
2. सुरक्षा निधि(Caution Money)की राशि महाविद्यालय में प्रथम बार के प्रवेश पर ही देय होगा।
3. प्रयोगशाला शुल्क केवल प्रायोगिक विषय वालों के लिये देय है।

सुरक्षा निधि (Caution Money) वापस प्राप्त करने के नियम

- सुरक्षा निधि वापस प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
- महाविद्यालय स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (T.C.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी।
- परिचय–पत्र एवं मूल रसीद के बिना सुरक्षा निधि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अन्दर सुरक्षा निधि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होने पर सुरक्षा निधि वापस नहीं की जायेगी एवं शासन के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

1. **महाविद्यालयीन पत्रिका का प्रकाशन :–** महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में साहित्यक अभिरूचि एवं रचनात्मक कौशल विकसित करने के लिए इस वर्ष से महाविद्यालयीन पत्रिका –"वाटिका" के प्रकाशन का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु नवम्बर माह के अंत तक हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में स्वरचित रचनांए आमंत्रित की जाती है। निबंध, कहानी, कविता, संस्मरण एवं साक्षात्कार आदि प्रकाशनार्थ हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्राध्यापकों के पास जमा की जा सकती है।

2. **वार्षिकोत्सव :–** महाविद्यालय में प्रति वर्ष वार्षिक साहित्यक एवं सांस्कृतिक तथा स्नेह सम्मेलन का आयोजन दिसम्बर माह में किया जाता है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं मे निबंध, लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन, तात्कालिक भाषण, वाद–विवाद, भाषण, क्वीज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। साथ ही वार्षिक स्नेह सम्मेलन, में विद्यार्थियों को – नाटक, एकांकी, गायन, नृत्य, अभिनव आदि विधावों में सहभागिता का अवसर अभिनय आदि विधाओं में सहभागिता का अवसर प्रदान किया जाता है। सहभागिता हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं सांस्कृतिक समिति प्रभारी से सम्पर्क किया जा कसता है।

3. **खेलकूद :–** इस महाविद्यालय में आउटडोर खेल में – व्हालीबॉल, कबड्डी, खो–खो, बेडमिंटन एवं क्रिकेट की सुविधाएं उपलब्ध है। वही इनडोर गेम्स में शतरंज, व कैरम की सुविधा उपलब्ध है। खेलकूद में रूचि रखने वाले छात्र–छात्राएं प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् खेल विभाग से सम्पर्क कर खेल सुविधा का लाभ उठा सकते है।

   वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिताओं में – 200 मीटर, 500 मीटर, मैराथन दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक, ऊॅची कूद, लम्बी कूद, व्हालीबॉल, क्रिकेट, आदि आयोजित किया जाता है। श्रेष्ठ खिलाड़ियों का विश्वविद्यालय, जिला व राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु सुविधा प्रदान की जाती है।

4. **ग्रंथालय :–** महाविद्यालय में लगभग –4500 पाठ्यपुस्तकों तथा ग्रंथों का संग्रह है। सभी छात्र/छात्राओं को एक समय में 03 पाठ्यपुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करने के नियम एवं समय–सारिणी की जानकारी ग्रंथालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाती है।

5. **वाचनालय :–** महाविद्यालय के वाचनालय में प्रमुख समाचार पत्र, प्रतियोगिता परीक्षा की पत्रिकाएं, मनोरंजक, पत्रिकाएं शोध, पत्रिकाएं, पश्नपत्र, रोजगार व निर्माण पत्रिका, आदि सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। इनका उपयोग छात्र / छात्रआएं वाचनालय में बैठकर कर सकते है। वाचनालय की समय सारिणी ग्रंथालय द्वारा जारी की जाती है।

6. **राष्ट्रीय सेवा योजना :–** महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई भी उपलब्ध हैं यह इकाई पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध हैं इसके अन्तर्गत समाज सेवा के कार्य किए जाते है। दिसम्बर माह में एन.एस.एस. शिविर का भी आयोजन किया जाता है। एन.एस.एस. के अंतर्गत **"बी"** प्रमाण पत्र परीक्षा महाविद्यालय में आयोजित की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्राएं निर्धारित आवेदन पत्र भरकर इस योजना में शामिल हो सकते है। प्रभारी प्राध्यापक, एन.एस.एस. द्वारा प्रवेश सूचना जारी की जाती है।

7. **कैरियर परामर्श एवं मार्गदर्शक प्रकोष्ठ :–** महाविद्यालय के प्राचार्य के संरक्षकत्तव में अनुभवी प्राध्यापकों के संयोजन से इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया हैं इस प्रकोष्ठ द्वारा समय–समय पर परामर्श/मार्गदर्शन के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं इस प्रकोष्ठ की सारी गतिविधियों की सूचना छात्रों को सूचना पटल के माध्यम से उपलबध करायी जाती है। सभी प्रवेशित छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह के मार्गदर्शन का लाभ लेकर प्रगति की राह में आगे बढ़े।

8. **Alumini प्रकोष्ठ :–** महाविद्यालय से अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों के द्वारा प्राचार्य के मार्गदर्शन में **Alumini** प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। ये सभी पूर्व छात्र/छात्राएं इस गौरवमयी संस्था के उत्तरोत्तर विकास में अपना अमूल्य योगदान/सहयोग प्रदान करते है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा नए छात्र/छात्राओं को हर संभव सहायता व मार्गदर्शन भी दिया जाता है। प्रकोष्ठ में सम्मिलित होने हेतु प्राचार्य से सम्पर्क किया जा जकता है।

9. **बुक बैंक योजना :–** महाविद्यालय में अजा/अजजा/बी.पी.एल. छात्रवृत्तियों के लिए परीक्षा अवधि के लिए बुक बैंक योजना लागू है। इस समय बुक बैंक योजना में वर्तमान में 606 एवं बी.पी.एल. बुक बैंक योजना में 250 पुस्तकें उपलब्ध है।

10. **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :–** छात्र/छात्राओं को अपनी शिकायत संबंधित विभाग प्रभारी या प्राचार्य के ध्यान मे मौखिक या लिखित रूप से लाना होता है।जिससे समय से शिकायत का निवारण किया जा सके।

11. **महिला प्रकोष्ठ :— प्रकोष्ठ द्वारा छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाता है।**

12. **छात्रवृत्ति योजना :—** महाविद्यालय में शासन की योजनानुसार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति उपलब्ध है साथ ही बी.पी.एल. छात्र/छात्राओं के लिए बी.पी.एल. छात्रवृत्ति तथा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना लागू है। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष के हायर सेकेण्डरी परीक्षा में **80%** से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओ के लिए प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना भी क्रियान्वीत होती है।

पाठयेत्तर गतिविधियों

महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त छात्रों को पाठयेत्तर गतिविधियॉ जैसे खेलकूद, साहित्यक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

अकादमिक कलेन्डर

शासन/विश्वविद्यालय से निर्धारित होने पर भी महाविद्यालय के आवश्यकताओ को सम्मिलित किया जायेगा,का पालन होगा।

स्थानीय प्रबंधन समिति,

(पंजीयन क्रमांक 26850 रायपुर दिनांक 04.07.2013)

महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (का क्रमांक 44 सन् 1973) के नियमानुसार स्थानीय प्रबंधन समिति का पंजीयन कराया गया । समिति महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिये प्रयासरत है।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

(क्रं. 27 सन् 2001)

रैगिंग की परिभाषा :— रैगिंग से अभिप्राय है कि किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तिव का अपमान या उपहास अभिदर्षित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रवरित करना आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

अपराध :— रैगिंग अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अमाननीय होगा।

दंड :— यदि कोई व्यक्ति या छात्र जो प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से रैगिंग लेता है या लेने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो कारावास जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से जो 5000/— रूपये से अधिक नहीं या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

प्रक्रिया :—

1. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2. रैगिंग के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रं. 2, 1974) के उपबंध लागू होंगें।

3. रैगिंग अपराध के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था, परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

4. ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो को राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

- ❖ रैगिंग दण्डनीय अपराध है।
- ❖ महाविद्यालय परिसर में मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- ❖ विद्यार्थी सदैव अपना परिचय पत्र साथ रखें।
- ❖ महाविद्यालय परिसर में मादक द्रव्यों एवं पदार्थो के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध हैं
- ❖ महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं हराभरा बनाने में अपना सहयोग दें।

महाविद्यालय परिवार

शैक्षणिक स्टाफ

क्र	स्वीकृत पद	विषय	कार्यरत का नाम	योग्यता	रिक्त
1	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	श्री टी.एस.मरकाम	एम.ए.,नेट उत्तीर्ण	—
2		अंग्रेजी	श्री चंदन सोनी	एम.ए.,एम.फिल, सेट उत्तीर्ण	—
3		भूगोल	डॉ.संजय कुमार	एम.ए.,पी.एच.डी.	—
4		अर्थशास्त्र	—	—	1
5		राजनीति विज्ञान	—	—	1
6		वाणिज्य	श्री सी.एल.तारक	एम.काम., स्लेट उत्तीर्ण	1
7		प्राणी शास्त्र	श्री हितनारायण टण्डन	एम.एस.सी., सेट उत्तीर्ण	—
8		वनस्पति शास्त्र	—	—	1
9		रसायन शास्त्र	—	—	1

नोट :— शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पद की पूर्ति शासन द्वारा नियमित/अतिथि प्राध्यापकों के द्वारा पूर्ण की जाती है।

कार्यालयीन स्टाफ

डॉ.संजय कुमार, प्र.प्राचार्य

क्र	स्वीकृत पद	कार्यरत का नाम	रिक्त
1	प्राचार्य	—	1
2	सहायक ग्रेड—1	श्री किरण कुमार साईमन	—
3	सहायक ग्रेड—2	श्री विश्वनाथ देवागंन	—
4	सहायक ग्रेड—3	मोहम्मद इम्तियाज सिद्दीकी	—
5	प्रयोगशाला तकनीशियन	श्री बालकृष्ण शर्मा	1
		श्री चंदेश्वर सिंह दीवान	
6	प्रयोगशाला परिचारक	—	2
7	भृत्य	श्री हेमलाल ध्रुव	—
		श्री राकेश कुमार सोनी	—

स्थानीय प्रबंधन समिति के कर्मचारी

क्र.	कर्मचारियों के नाम
1	श्री जगदीश कश्यप
2	श्री नरोत्तम पाड़े
3	श्री विद्याधर निषाद
4	श्री संतोष प्रधान

आवेदन पत्र क्रमांक

पिछली उत्तीर्ण परीक्षा
कक्षा :
वर्ष :
पूर्णांक : ____ प्राप्तांक : ____
प्रतिशत :

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

प्रवेश सत्र 201 – 201

शासकीय नवीन महाविद्यालय, देवभोग

जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रवेश हेतु आवेदन – पत्र

वर्ग : सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग

आवेदक अपना पासपोर्ट साईज का फोटो यहां चिपकाये

1. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए ______
2. विषय जो आवेदक लेना चाहता है :–

   अनिवार्य विषय 1 ______ 2 ______ 3 ______

   वैकल्पिक विषय 1 ______ 2 ______ 3 ______

   आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ______

   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ______
3. पिता का नाम ______ व्यवसाय ______
4. माता का नाम ______
5. जन्म तिथि (अंकों में) ______ (शब्दों में) ______
6. आवेदक का पता (स्थायी) ______

   (स्थानीय) ______

   फोन नं. यदि हो तो ______ मोबाईल ______
7. जन्म स्थान तथा राष्ट्रीयता 1) ______ 2) जिला ______

   3) प्रदेश ______ 4) राष्ट्रीयता ______
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है, यदि हां तो किस स्थान का ? ______
9. पिता/संरक्षक का नाम ______

   संरक्षक के साथ संबंध ______ व्यवसाय ______

   पिता/संरक्षक के छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि ______ फोन/मोबाईल नं. ______
10. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग छात्र/छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की संतान/सेना में नियुक्त कर्मचारी की संतान हो तो उसका पूरा विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न कीजिये।

    यदि पिछड़े वर्ग का हो तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर जाति का नाम लिखें ______

    यदि अनु.जा./आदिवासी हो तो प्रमाण पत्र संलग्न कर जाति का नाम लिखें ______

    यदि अल्प संख्यक हो तो जाति का नाम लिखें ______

    (मुसलमान/सिख/ईसाई/पारसी/जैन/बौद्ध)
11. यदि पिता/संरक्षक स्थानीय न हो तो स्थानीय संरक्षक का नाम ______

    पता ______ संबंध ______

12. अध्ययन की जाने वाली अंतिम संस्था का नाम ____________________

वर्ष ____________ वि.वि./बोर्ड का नाम एवं नामांकन क्रमांक ____________________

13. प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता का विवरण

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि.	शैक्षणिक संस्था का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
हायर सेकेण्डरी								
बी.ए. भाग-एक भाग-दो भाग-तीन								
बी.कॉम. भाग-एक भाग-दो भाग-तीन								
बी.एस.सी. भाग-एक भाग-दो भाग-तीन								
अन्य								

14. क्या गत वर्षों में आवेदक का अध्ययन क्रम निरंतर जारी रहा है ? यदि नहीं तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

____

15. शैक्षणिक पाठ्येत्तर गतिविधियां खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि गतिविधियों में आवेदक द्वारा अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियां/आवेदक को प्राप्त छात्रवृत्ति/पुरस्कार आदि का पूर्ण विवरण (प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे)

____

16. अ) क्या गत वर्षों में आवेदक ने इस महाविद्यालय अथवा अन्य किसी महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था तथा उसे प्रवेश नहीं दिया गया, यदि ऐसा हो तो पूर्ण विवरण दीजिये। ____________________

____

ब) क्या आवेदक ने इस सत्र में इस महाविद्यालय अथवा अन्य किसी महाविद्यालय में अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है ?

यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण ____________________

____

17. क्या आवेदक सेवारत है ? यदि हाँ तो विवरण देकर नियोक्ता की महाविद्यालय में अध्ययन के लिए लिखित अनुमति संलग्न की जावे।

संलग्न आलेखों की सूची :-

1. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र)
2. जन्म तारीख का प्रभाणपत्र (दसवीं कक्षा की अंक सूची)
3. निवास का प्रमाण पत्र
4. दो चरित्र प्रमाण पत्र (यदि पिछली कक्षा असंस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है)
5. नियोक्ता की स्वीकृति
6. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति/विकलांग छात्र/माता पिता छ.ग. के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र
7. प्रवजन प्रमाण पत्र (यदि अन्य विश्वविद्यालय से आवेदक आया है)
8. पासपोर्ट साईज की दो फोटो

टीप :- 1. प्रथम बार इस संस्था में प्रवेश लेने वाले आवेदक को पासपोर्ट साईज की दो फोटो। एक प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें तथा एक प्रति आवेदन पत्र पर नियत स्थान पर चिपकावें।

2. अंक सूची एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहूँगा तथा महाविद्यालय में अथवा उसके बाहर एवं परीक्षाओं में किसी भी अव्यवस्था एवं अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में कोई भाग नहीं लूंगा। मैं प्रत्येक मामले में प्राचार्य महोदय के निर्णयों का पालन करूँगा। मेरी ओर महाविद्यालय के कोई भी शुल्क अथवा अन्य किसी संबंध में कोई धनराशि देयक नहीं है तथा मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे विरूद्ध गत वर्षों में अनुशासन भंग/दुराचरण/परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या दुर्व्यवहार अथवा अन्य किसी कारण से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या किसी न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है (कार्यवाही हुई हो तो विवरण दें)। मैंने समस्त जानकारी ऊपर दे दी है, उनमें जब जब कोई परिवर्तन होगा, मैं उसकी सूचना तुरंत ही दूंगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपर्युक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त किया जाकर अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं उत्तदायी रहूँगा।

स्थान ....

दिनांक .... आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

उपस्थिति के सम्बन्ध में वचन पत्र

मैं ____________________ आत्मज/आत्मजा/पत्नि ____________________ म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन निर्मित अध्यादेश क्रमांक 7 के प्रावधानुसार, परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम 75 प्रतिशत कक्षा में उपस्थिति का वचन देता/देती हूँ। अल्प उपस्थिति की स्थिति में प्राचार्य, नियमानुसार कार्यवाही करने में सक्षम हैं तथा उनके द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा एवं इस संबंध में मैं कोई वाद-विवाद या विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा।

स्थान ....

दिनांक .... आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों एवं व्यवस्थाओं का मैंने अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में उसके आचरण कार्यों, उपस्थिति, दैनन्दिनी और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा।

स्थान ....

दिनांक .... पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

फोन/मोबाईल नं. ....

कार्यालय के उपयोग हेतु

आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ली गयी है तथा उन्हें ठीक पाया गया। उसमें निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं

____

____

लिपिक / मुख्य लिपिक

प्रवेश समिति की अनुशंसा

. आवेदक को ---------------------------------- कक्षा में निम्नलिखित विषयों में प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।

विषय (1) __________________ (2) __________________

(3) __________________ (4) __________________

(5) __________________ (6) __________________

अथवा

2. आवेदक निम्नलिखित कमियां पूरी करे तभी प्रवेश की पात्रता होगी।

____

____

संयोजक प्रवेश समिति

प्राचार्य का आदेश

1. आवेदक को उपर्युक्तानुसार अस्थायी प्रवेश दिया जाता है। या
2. आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

3. प्रवेश पत्र निर्गमित किया गया/आवेदन पत्र अस्वीकृति की सूचना दी गयी।

मुख्य लिपिक

(केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए)

4. आवेदन पत्र के साथ रूपये __________________ रसीद क्रमांक __________________

दिनांक __________________ प्राप्त हुए

लेखा लिपिक

प्रवेश का नवीनीकरण

सत्र	कक्षा जिसमें प्रवेश दिया जाना है।	नवीनीकरण का आधार				प्रवेश नवीनीकरण हेतु संस्तुति	प्राचार्य का आदेश	जमा की गयी शुल्क का विवरण
		उत्तीर्ण परीक्षा	रोल नं.	प्राप्तांक	पूर्णांक			